

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-समन्वय) , मध्य प्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल

फ़ोन नं. 0755-2674240. फ़ैक्स: 0755-2550881, ई-मेल apccfcoord@mpforest.org

क्रमांक/सम/स्था/8439

भोपाल, दिनांक 15/10/14

प्रति,

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), म०प्र० भोपाल
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू अभिलेख), म०प्र० भोपाल
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ म०प्र० भोपाल
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम म०प्र० भोपाल
5. सदस्य, नर्मदा घाटी विअक्स प्राधिकरण, म०प्र० भोपाल
6. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)
7. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य अयोजनाक (आंचलिक) म०प्र० भोपाल
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ईको पर्यटन विकास बोर्ड, म०प्र० भोपाल
9. सदस्य सचिव म.प्र. राज्य बांस शिल्प विअक्स बोर्ड बांस मिशन भोपाल
10. मुख्य वन संरक्षक, भोपाल वृत्त, भोपाल
11. मुख्य वन संरक्षक, अनुसन्धान विस्तार भोपाल
12. वन संरक्षक, कार्य आयोजना, भोपाल
13. वन संरक्षक, राजधानी परियोजना, भोपाल
14. वन संरक्षक एवं पदेन वन मण्डलाधिकारी, भोपाल वन मण्डल, भोपाल

विषय: शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को आवंटित शासकीय आवास गृहों के लिए किराया वसूली के संबंध में ।

सन्दर्भ: म.प्र. शासन, गृह (सामान्य) विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 01-25/2013/दो-ए(3) दिनांक 11/09/2014

-----

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा म.प्र. शासन, गृह (सामान्य) विभाग भोपाल से प्राप्त भोपाल स्थित शासकीय आवास गृहों के संशोधित किराया वसूली के दरो की सूची आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

उप वन संरक्षक (रोकड़)  
कार्या० प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
म०प्र० भोपाल

म.प्र. शासन

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 11/09/14

एफ 01-25/2013/दो-ए(3) :: भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम - 2000 में किए ===== संशोधन दिनांक 04.10.2013 के फलस्वरूप राज्य शासन एतद द्वारा भोपाल स्थित शासकीय आवास ग्रहों के लिए लाइसेंस शुल्क (किराया वसूली) की डरेदिनांक 01 अक्टूबर 2014 से निम्नानुसार निर्धारित करता है :-

क्रं	आवास श्रेणी	वेतनमान	मूलभूत नियम 45 ए के अधीन मासिक किराया	मूलभूत नियम 45 बी के अधीन मासिक किराया	अनधिकृत अधिपत्य होने पर दंडिका मासिक किराया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बी	67000 से अधिक	3000	6000	30000
2	सी	37400+10000 ग्रेड-पे या अधिक	2400	4800	24000
3	डी	374000+8700 ग्रेड-पे या अधिक	1800	3600	18000
4	ई	15600+5400ग्रेड- पे या अधिक	1500	3000	15000
5	एफ	15600+5400ग्रेड- पे या अधिक	900	1800	9000
6	जी	5200+2800 ग्रेड- पे या अधिक	600	1200	6000
7	एच	5200+1900 ग्रेड- पे या अधिक	300	600	3000
8	आई	चतुर्थ श्रेणी	100	200	1000

सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थाओं, मान्यता प्राप्त अधिकारी/ कर्मचारी संगठनों तथा राज्य के सार्वजनिक उपकर्म के अधिकारी/कर्मचारीगण को आवास आवंटन

क्रं	आवास श्रेणी	सामान्य दर	अनधिकृत अधिपत्य होने पर दंडिका मासिक किराया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बी	12000	30000
2	सी	9600	24000
3	डी	7200	18000
4	ई	6000	15000
5	एफ	3600	9000
6	जी	2400	6000
7	एच	1200	3000
8	आई	400	1000

3. गणमान्य एवं ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को तथा प्रेस पूल के अंतर्गत आवास आवंटन

क्रं	आवास श्रेणी	सामान्य दर	अनधिकृत अधिपत्य होने पर दंडिका मासिक किराया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बी	6000	30000
2	सी	4800	24000
3	डी	3600	18000
4	ई	3000	15000
5	एफ	1800	9000
6	जी	1200	6000
7	एच	600	3000
8	आई	200	1000

4. भारत सरकार के अधिकारी/ कर्मचारीगण को आवास आवंटन

क्रं	आवास श्रेणी	सामान्य दर	अनधिकृत अधिपत्य होने पर दंडिका मासिक किराया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बी	आवंटिती को प्राप्त होने वाले गृह भाडा भत्ते के बराबर की राशी	30000
2	सी		24000
3	डी		18000
4	ई		15000
5	एफ		9000
6	जी		6000
7	एच		3000
8	आई		1000

2. भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम - 2000 में किए गए संसोधन दिनांक 04.10.2013 से नवीन दरों दे लागू होने (दिनांक 01.10.2014) के मध्य की अवधि के लाइसेंस शुल्क (मासिक किराया ) निर्धारण के प्रकरणों का निराकरण पूर्व में प्रचलित नियमों के अंतर्गत किया जावे।

3. लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी श्रेणी के मकानों में नियमित रूप से संधारण कार्य किया जाये जिससे माकन निवास के लिए उपयुक्त रह सके।

4. शासकीय आवास गृह में अतिरिक्त निर्माण कार्य कराए जाने की स्थिति में लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्बंधित शासकीय आवास मकान की श्रेणी का पुननिर्धारण किया जाएगा और तदनुसार लाइसेंस शुल्क (मासिक किराया) का निर्धारण किया जाएगा ।

5. जिला मुख्यालय एवं संभागीय मुख्यालय स्तर पर शासकीय आवास गृहों के लाइसेंस शुल्क (मासिक किराया ) का निर्धारण भी उक्तानुसार किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी )

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

प्रतिलिपि:-

1. मध्यप्रदेश राज्यपाल के सचिव, भोपाल
2. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर (आडिट)
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
4. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन मुख्य मंत्री कार्यालय मंत्रालय-भोपाल ।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)
6. रजिस्टार, उच्चन्यायलय जबलपुर (मध्यप्रदेश)
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
8. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, मंत्रालय- भोपाल
9. आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली
10. शासन के समस्त विभाग म.प्र.
11. समस्त विभागाध्यक्ष म.प्र.
12. समस्त संभागीय आयुक्त, (मध्यप्रदेश)
13. समस्त जिलाध्यक्ष (मध्यप्रदेश)
14. संचालक, कोष एवं लेखा संचालनालय, म.प्र. भोपाल ।
15. संचालक, संपदा संचालनालय, म.प्र. भोपाल ।
16. अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण मण्डल क्रमांक-1,2 एवं 3 भोपाल
17. समस्त जिला कोषालय अधिकारी. मध्यप्रदेश
18. निज सचिव, माननीय मुख्य मंत्रीजी / मंत्रीजी/ राज्य मंत्रीजी

.....विभाग, भोपाल ।

ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग